

आदेश

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4612(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, कॉकोनट फैटी एसिड (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कॉकोनट फैटी एसिड (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. कॉकोनट फैटी एसिड (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2022 में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) यह आदेश 24 अप्रैल, 2024 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. सी.II-13012/1/2021- रसायन.II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मुख्य आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ.1965 (अ) तारीख 27 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्याक का.आ.4996 (अ) तारीख 21 अक्टूबर, 2022 और का.आ.1868 (अ) तारीख 24 अप्रैल, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 19th October, 2023

S.O. 4612(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Coconut Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) This Order may be called the Coconut Fatty Acids (Quality Control) Amendment Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Coconut Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) This order shall come into force on the 24th day of April, 2024”.

[F. No. C.II-13012/1/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th April, 2022, vide number S.O. 1965(E), dated the 27th April, 2022 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 4996(E) dated the 21st October, 2022 and S.O. 1868(E) dated the 24th April, 2023.